

निरीक्षकों के अधिकार बढ़ाने के लिए कानून बनाये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि इन सशोधनों से, जहाँ तक हो सके विभागीय अफसरों को ही निरीक्षक नियुक्त करने के सरकार के पहले ही किये जा चुके निश्चय से, और समवाय विधि न्यायाधिकरण (कम्पनी ला ट्रिब्यूनल) की स्थापना से स्थिति में सुधार हो सकेगा।

†[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): Yes, Sir. As was explained to the Committee, the main reason for the delay in completion of investigations has been the non-cooperation of the managements of the companies concerned with the Inspectors. The managements withheld from the Inspectors books and papers relevant to the investigations and also did not comply with their requisitions to appear before them, on one technical objection or the other. Further, in quite a few cases, they entered into litigation with the Inspectors dragging them from one court to another

Legislative steps are being taken to enlarge the powers of the Inspectors. It is hoped that these amendments, the Government decision already taken not as far as possible only departmental officers be appointed Inspectors, and the constitution of the Company Law Tribunal, would lead to an improvement in the position.]

सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों के लिये इमारतें

७१६. श्री भगवत नारायण भागवत : या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि या कारण है कि दिल्ली, कलकत्ता, इम्बई और मद्रास में स्थित सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों के लिये सरकार इमारतें क्यों नहीं बना रही, जिनके लिये ८७ ७८ लाख रुपये का वार्षिक किराया देना पड़ रहा है ?

†[BUILDINGS FOR OFFICES OF PUBLIC UNDERTAKINGS

719. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the reasons why buildings are not being constructed by Government for the offices of the public undertakings located in Delhi, Calcutta, Bombay and Madras for which an annual rental of Rs. 87.78 lakhs is being paid?

वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) यद्यपि सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए सामूहिक भवन बनाने का विचार अच्छा है, लेकिन इमारती सामान की कमी और उचित स्थानों के अभाव के कारण इस पर अमल करना बहुत कठिन है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी इमारतें नहीं बनायी जा सकी हैं।

†[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): While the idea of common buildings for public sector undertakings is attractive, there is considerable difficulty in implementing it due to shortage of building materials and lack of suitable sites. It has not been possible to construct buildings to meet even the requirements of Central Government offices.]

निर्माण तथा आवास मंत्रालय में हिन्दी का और अधिक प्रयोग

७२०. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : क्या निर्माण तथा आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उनके मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़े, इस दृष्टि से उन्होंने अब तक क्या-क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

†[INCREASED USE OF HINDI IN THE
MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

720. SHRI V. M. CHORDIA. Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state what special steps have so far been taken by him to increase the use of Hindi in his Ministry?]

निर्माण तथा त्रावास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : इस मंत्रालय और उसके कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं —

१. मंत्रालय के सचिवालय में.—

(१) नौ अनुभागों में कुछ चुने हुए विषयों पर एक विशेष स्तर तक जहाँ पर अधिकांश कर्मचारों और अधिकारियों काम चलाऊ हिन्दी जानते हैं, हिन्दी में टिप्पण (नोटिंग) लिखना आरम्भ कर दिया गया है।

(२) विभिन्न अनुभागों के उपयोग के लिए ७ टाइपराइटर अब तक खरीदे जा चुके हैं।

(३) अनुवाद आदि के लिए एक हिन्दी सेल की स्थापना की जा चुकी है।

(४) एक हिन्दी वाचनालय आरम्भ कर दिया गया है।

(५) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और मंत्रालय के हिन्दी अधिकारियों द्वारा विहित प्रपत्रों (प्रेसक्राइब्ड फॉर्म) का हिन्दी अनुवाद किया जा रहा है।

(६) जिन लोगों ने हिन्दी प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है उन्हें टोलियों में प्रशिक्षण के लिए मनोनीत किया जा रहा है। निम्न श्रेणी लिपिकों (लोअर डिवीजन क्लर्क) और आशु लिपिकों (स्टेनोग्राफर्स) को भी हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।

(७) जहाँ तक सम्भव है हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी मामलों में पत्र-व्यवहार के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाता है।

२. राष्ट्रीय इमारत संस्था -- (?) संस्था में एक हिन्दी का टाइपराइटर उपलब्ध है।

(२) पत्रियों के शीर्षकों और प्रपत्रों का हिन्दी अनुवाद करा कर उनकी प्रतिलिपियाँ केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को अनुमोदन के लिए भेजी जा चुकी हैं।

(३) अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिए तथा हिन्दी टाइपराइटिंग और शार्टहेड के प्रशिक्षण के लिए जाने दिया जाता है।

(४) उन सभी राज्यों से पत्रव्यवहार हिन्दी में किया जाता है जिन्होंने हिन्दी को सरकारी भाषा के रूप में अपना लिया है।

(५) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर प्रायः हिन्दी में ही दिया जाता है। अ—हिन्दी भाषा भाषी राज्यों से प्राप्त हिन्दी के पत्रों का उत्तर अंग्रेजी अनुवाद के साथ हिन्दी में ही दिया जाता है।

(६) दो अनुभागों में हिन्दी में टिप्पणियों का लिखना आरम्भ कर दिया गया है।

(७) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सभी पत्रव्यवहार हिन्दी में ही किया जाता है।

(८) तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें लिखाई अनुवाद कराई जा रही हैं। तकनीकी लेखों और प्रकाशनों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है। भवन निर्माण और उसी तरह की सामग्री से संबंधित हिन्दी वार्तायें आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) से प्रसारित की जाती हैं।

(६) हिन्दी क्षेत्रीय भाषाओं के वृत्तान्तों (कमेंट्री) के साथ चल-चित्रों (फिल्म) के निर्माण की व्यवस्था की जाती है।

३. भूमि और विज्ञान कार्यालय.—

(१) कार्यालय में हिन्दी के उपयोग के लिए एक हिन्दी टाइपराइटर खरीदा जा चुका है।

(२) प्रपत्रों के नमूने और पर्जियों के शीर्षकों को अनुवाद के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय भेजा जा चुका है।

(३) एक स्टेनोग्राफर को हिन्दी की स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण मिल रहा है। छ: निम्न श्रेणी लिपिकों ने हिन्दी टाइपराइटिंग और ३४ अधिकारियों ने हिन्दी कक्षा में जाना शुरू कर दिया है।

(४) जहां तक संभव है हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है।

४. राजसम्पत्ति निदेशालय.— (१)
हिन्दी का एक टाइपराइटर प्रयोग में है।

(२) ६० मानक प्रपत्रों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है, और उनमें से ३२ मुद्रित (प्रिंटेड)/साईक्लोस्टाइल किये जा चुके हैं।

(३) ५२ व्यक्तियों को हिन्दी टाइपराइटिंग के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, इन में से १६ ने योग्यता प्राप्त कर ली है। अभी ६ और प्रशिक्षण में हैं। दो व्यक्तियों को हिन्दी शार्टहेड का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(४) शिमला के उप-कार्यालय में हिन्दी टाइपराइटिंग/शार्टहेड के प्रशिक्षण की कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। कलकत्ता कार्यालय के दो कर्मचारियों ने हिन्दी टाइपराइटिंग पास कर ली है और एक कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहा है।

(५) ५३ अधिकारियों ने प्राज्ञ परीक्षा पास कर ली है। १२५ व्यक्तियों को अभी हिन्दी प्रशिक्षण देना है। उप-कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी हिन्दी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(६) हिन्दी में आये पत्रादि का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है।

५. विस्फोटक शास्त्र: विभाग —

(१) १६ व्यक्ति हिन्दी प्रशिक्षण के अंतर्गत हैं। २८ व्यक्तियों का हिन्दी ज्ञान काम चलाऊ है।

(२) एक ने हिन्दी टाइपराइटिंग की परीक्षा पास कर ली है। तीन और व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(३) जहां तक संभव है हिन्दी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है।

६. मुद्रण और लेखन साधनों के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय— (१) विभिन्न मुद्रणालयों (प्रेसों) और हर्डक्वार्टर्स में हिन्दी के आठ टाइपराइटर्स हैं।

(२) मुद्रणालयों (प्रेसों) और कार्यालयों से ५८१ फार्म अनुवाद के लिए भेजे जा चुके हैं।

(३) हिन्दी टाइपराइटिंग/शार्टहेड में ३७ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। २८७ को अभी प्रशिक्षण देना है।

(४) ४३६ व्यक्तियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिया जा चुका है और १३७५ को प्रशिक्षण देना है।

(५) जहां तक संभव है हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है।

(६) आठ मुद्रणालयों में (प्रेसों में) हिन्दी मुद्रण (प्रिंटिंग) की व्यवस्था अभी है। बाकी के मुद्रणालयों (प्रेसों) को हिन्दी का काम संभालने के लिए सुसज्जित किया जा रहा है।

७. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग.—

(१) हिन्दी के टाइपराइटर प्रयोग में हैं।

(२) जहां तक संभव है हिन्दी भाषा भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार हिन्दी में ही किया जाता है। सामान्यतः हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। परिपत्र, पत्र और पृष्ठांकन (एन्डोसमेंट) आदि अधीनस्थ कार्यालयों को द्विभाषी रूप में भेज जाते हैं।

(३) जिन कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण आवश्यक है उन्हें टुकड़ियों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। अधिकारियों को हिन्दी शार्टहैंड/टाइपराइटिंग के प्रशिक्षण के लिए भी टुकड़ियों में भेजा जाता है।

(४) सी० ई० प्रपत्रों और पंजियों का अनुवाद और मुद्रण (प्रिंटिंग) के लिए भेजा गया था। इन प्रपत्रों के प्रूफ वापस प्राप्त हो चुके हैं।

(५) एक कार्यकारी इंजीनियर जो कि अपने कार्य के अतिरिक्त हिन्दी के कार्य को भी देखते हैं, के अधीन एक हिन्दी सेल काम कर रहा है। हिन्दी टाइपिंग जानने वाला एक लिपिक (क्लर्क) और हिन्दी शार्टहैंड जानने वाला एक स्टेनोग्राफर इस सेल में काम कर रहे हैं।

†[THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI MEHR CHAND KHANNA): The following steps have

†[] English translation.

been taken to increase the use of Hindi in this Ministry and its offices:—

1. *Secretariat of the Ministry.*—(1) Hindi Noting has been started in 9 Sections on selected subjects and up to a certain level where the bulk of the staff and officers have a working knowledge of Hindi.

(2) 7 Hindi typewriters have so far been purchased for use in various Sections.

(3) A Hindi Cell has been created for translation etc.

(4) A Hindi reading room has been started.

(5) Translation of the prescribed forms in Hindi is being undertaken by the Central Hindi Directorate and by the Hindi Officer in the Ministry.

(6) Those who have not completed Hindi training are being nominated for training in batches. Lower Division Clerks and Stenographers are also being sent for training in Hindi typewriting and Hindi Stenography.

(7) Letters received in Hindi are replied to in Hindi as far as possible and in all cases Hindi is used in correspondence with class IV staff.

2. *National Buildings Organisation.*—(1) One Hindi typewriter is available in the Organisation.

(2) Copies of forms and headings of Registers along with Hindi Translations have been sent to the Central Hindi Directorate for approval.

(3) Officers and staff are being spared for learning Hindi and for training in Hindi typewriting and shorthand.

(4) All correspondence with States, which have adopted Hindi as their official language is done in Hindi.

(5) All letters received in Hindi are generally replied to in Hindi. Hindi letters received from non-Hindi speaking States are being replied to in Hindi with English translations.

(6) Hindi noting has been introduced in two sections.

(7) All correspondence with Class IV employees is done in Hindi.

(8) Books on technical subjects are being written/translated into Hindi. Technical articles and publications are brought out in Hindi. Hindi talks regarding construction of buildings and allied matters are broadcast from all India Radio.

(9) Production of films with commentary in Hindi/regional languages, is being arranged.

3. *Land and Development Office.*—

(1) One Hindi typewriter has been purchased for use in the office.

(2) Specimen forms and headings of registers have already been sent to the Central Hindi Directorate for translation into Hindi.

(3) One Stenographer is getting training in Hindi stenography, 6 Lower Division Clerks in Hindi typewriting and 34 officers have joined Hindi Classes.

(4) Hindi letters are replied to in Hindi, as far as possible.

4. *Directorate of Estates.*—(1) One Hindi typewriter is in use.

(2) Out of 90 standard forms translated into Hindi, 32 have been printed/cyclostyled.

(3) 58 persons were deputed for Hindi Typewriting training out of which 16 have qualified. Six more are still under training. Two persons have been trained in Hindi shorthand.

(4) Training facilities for Hindi typewriting/shorthand are not available at the Simla sub-office. Two members of the staff of the Ca'cutta office have passed the Hindi typewriting test and one is undergoing training.

(5) 53 Officials have passed Hindi Pragma Examination. 125 persons are

yet to be trained in Hindi. Persons belonging to sub-offices are also undergoing training in Hindi.

(6) Communications received in Hindi are replied to in Hindi.

5. *Department of Explosives, Nagpur.*—(1) 16 persons are under training in Hindi. 28 have a working knowledge of Hindi.

(2) One has passed the Hindi typewriting test. Three others have also been trained.

(3) As far as possible Hindi letters are being replied to in Hindi.

6. *Office of the Chief Controller of Printing and Stationery.*—(1) There are 8 Hindi typewriters in the Headquarters office and in the various Presses.

(2) 581 forms have been sent by the Presses and Offices for translation.

(3) 37 officers have been trained in Hindi typewriting/shorthand. 287 are yet to be trained.

(4) 436 persons have received Hindi training and 1375 are to be trained.

(5) Letters received in Hindi are replied to in Hindi as far as possible.

(6) Printing arrangements for Hindi material exist in Eight Presses. Other presses are being equipped to handle Hindi work.

7. *Central Public Works Department.*—(1) 5 Hindi typewriters are in use.

(2) Correspondence with Hindi speaking areas is being done in Hindi as far as possible. Hindi letters are generally replied to in Hindi. Circulars, letters and endorsements, etc. are sent to subordinate offices in bilingual form.

(3) Members of the staff for whom Hindi training is obligatory are being

deputed for training in Hindi in batches. Officials are also sent in batches for training in Hindi shorthand/typewriting.

(4) C.E. forms and registers were sent for translation and printing. Proofs of these forms have been received back.

(5) A Hindi Cell is functioning in the Central Office under an Executive Engineer, who looks after the Hindi Work in addition to his own duties. One Clerk knowing Hindi typing and a Stenographer knowing Hindi Short-hand are working in this Cell.]

भूमि सुधार की प्रगति

७२१. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में भूमि सुधार की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये गृह-कार्य मन्त्री की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उसने अब तक क्या-क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†[PROGRESS OF LAND REFORMS

721. SHRI V. M. CHORDIA. Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) what suggestions have so far been given by the Committee constituted under the Chairmanship of the Minister of Home Affairs for reviewing the progress of the land reforms in the States; and

(b) what action has been taken on the suggestions referred to in part (a) above?]

योजना मंत्री (श्री बी० आर० भगत)

(क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

† [] English translation.

विवरण

कृषि उत्पादन पर भूमि सुधार का गहरा प्रभाव होने के कारण, राष्ट्रीय विकास परिषद् की भूमि सुधार समिति ने अपनी दिनांक २५ जून, १९६४ को सम्पन्न बैठक में सुझाव दिया कि भूमि सुधार कार्यक्रम को यथाम्भव शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें, ताकि कृषक को काश्त की सुरक्षा एवं कृषि उत्पादन में लगाई गई पूंजी का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होने की सुनिश्चितता हो जाय। अतः इस बात पर बल दिया गया कि बटाई पर खेती करने की पद्धति समाप्त करदी जाय और लगान को नकद लगान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, जिसमें काश्त करने वाले किसान को इस बात का विश्वास हो जाय कि राज्य के पूंजी विनिर्माण और अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप बड़े उत्पादन का उसे भरपूर लाभ मिलेगा। इस सम्बन्ध में समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं --

(१) प्रत्येक राज्य में एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार उसकी महायता के लिए अन्य कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहिए ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम निश्चित अवधि में समाप्त हो सके।

(२) प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय समिति होनी चाहिए जो समय समय पर यानी प्रत्येक छः महीने के बाद कार्यान्वयन में हुई प्रगति की जांच करे ताकि इस कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय पर कार्यवाई की जा सके।